



क्रमांक: एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.का./पार्ट-3/2015 (पार्ट-1)

जयपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलक्टर, समस्त।

30 MAY 2016

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जारी मास्टर सर्कुलर अनुसार व्यक्तिगत लाभ के कार्य  
"अपना खेत अपना काम" हेतु सामग्री क्रय प्रक्रिया में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य.ला.का./2011 दिनांक 04/27.05.2011।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी किये गये मास्टर सर्कुलर के बिन्दु सं. 2.5.1.6 के उप बिन्दु सं. i, j में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु सामग्री क्रय प्रक्रिया में निम्न प्रावधान किये गये हैं :-

- i. In case of **individual beneficiaries**, engaged in horticulture and plantation, the procurement of planting material will be made by the beneficiary from government nurseries, private nurseries approved by the government, at the rate fixed by the committee headed by the DPC.
- j. Materials required for the individual works on private lands such as farm ponds, dug wells, IHHLs etc. may be procured by the beneficiary households at the rates approved by the competent authority, from any vendor having TIN number.

बिन्दु सं. 2.5.1.6 के उप बिन्दु सं. i के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक करें, जिसमें अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, परियोजना अधिकारी (लेखा), ईजीएस तथा वन एवं उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाकर वर्ष में क्रय किये जाने वाले पौधों की किस्म/मानक अनुसार प्रति पौधा दर एवं जिले में सरकारी एवं निजी नर्सरियों का अनुमोदन किया जावे। उसकी सूचना सभी जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में उन सभी स्थानों को उपलब्ध कराई जावेगी, जहाँ पर योजनान्तर्गत निर्धारित आवेदन प्रपत्र-6 उपलब्ध कराया जाता है। इन अनुमोदित नर्सरियों से निर्धारित दरों पर लाभार्थियों द्वारा पौधे क्रय किये जा सकते हैं।

बिन्दु सं. 2.5.1.6 के उप बिन्दु सं. j के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत लाभार्थी परिवार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार चिह्नित/अनुमोदित सामग्री आपूर्तिकर्ता या किसी भी TIN नम्बरधारी सामग्री आपूर्तिकर्ता किसी भी विक्रेता से सामग्री क्रय की जा सकेगी, उसका बिल ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त बिल की मात्रा का सत्यापन सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा किये जाने के पश्चात् ग्राम पंचायत की अनुमोदित दर या बीएसआर दर या बाजार दर में से जो भी न्यूनतम हो का भुगतान लाभार्थी अथवा वेंडर के बैंक खाते में e-FMS के माध्यम से किया जा सकेगा।

अन्य निर्देश एवं शर्तें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगे। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे।


भवदीय

25/5/16  
(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रा0वि0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मान. मंत्री महो., ग्रावि एवं परावि/कृषि/राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन डाईरेक्टर, राजीविका।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
10. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
11. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
13. आचार्य, ग्राम सेवक/पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर), अजमेर, डूंगरपुर।
14. परियोजना निदेशक, एमपॉवर परियोजना, जोधपुर।
15. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

  
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस